IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

असुर जनजाति के वैवाहिक स्वरूप मे परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(मधु कुमारी . शोधार्थी. समाजशास्त्र विभाग. राँची विश्वविद्यालय राँची)

सारांश

असुर जनजाति एक आदिम जनजाति है इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से पाट क्षेत्र में रहते हैं इस कारण इस जनजाति का संपर्क अन्य आधुनिक समाजों से कम हो पाता है परंतु आधुनिक समाज के लोग धीरे–धीरे इस जनजाति से संपर्क स्थापित कर रहे हैं इस कारण उनका प्रभाव असुर जनजाति पर नगर ने रूप से देखने को मिल रहा है असुर जनजाति में विवाह के तीन रूप मुख्य रूप से प्रचलित है विधिवत विवाह ढूकू विवाह एवं इदी ताई–मा व्यवस्था विवाह प्रचलित है लेकिन असुर लोगों में एक अलग प्रकार के वैवाहिक व्यवस्था है जिसको इदी ताई मां कहते हैं इस व्यवस्था में लड़का लड़की बिना विवाह किए एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं परंतु अपने जीवन के किसी काल में उन्हें विवाह की रस्मों को पूरा करना होता है यह वैवाहिक व्यवस्था है असुर जनजाति को अन्य जाति एवं जनजाति से भिन्न बनाता है। वर्तमान समय में विधिवत विवाह अधिक देखने को मिल रहा है यह विधिवत विवाह अन्य जाति एवं जनजाति की तरह ही है।

मुख्य बिंदु : असुर जनजाति, विवाह ,परिवर्तन

उद्देश्य :

1) असुर जनजाति के वैवाहिक स्वरूप का अध्ययन करना □

2) असुर जनजाति के वैवाहिक स्वरूप में परिवर्तन का अध्ययन करना □

शोध विधि – द्वितीयक स्रोत

असुर जनजाति – असुर भारत में रहने वाली एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुर जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः झारखण्ड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है झारखण्ड रमें असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेदार जिलो में निवास करते है।[1]

असुर जनजाति आदिम जनजाति है। असुर मुख्यतः नेतरहाट के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते है। यह पठारीक्षेत्र छोटानागपुर के उतरी पश्चिमी कोणों में फैला हुआ है। इसकी चोटी कहीं कहीं समतल है जिसे पाट कहते है। यह क्षेत्र 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसमें असुर के लगभग 25 गांव है। असुरो की सबसे अधिक संख्या गुमला जिला में ही है।

वनर्जी, शास्त्री के अनुसार, असुर एक शक्तिशाली समुदाय था जिसे वैदिक आर्य सम्मान देते थे। लेकिन आगे चलकर आर्यो ने अपनी छल–कपट एवं भ्रष्ट नीति के तहत शारी संख्या में असुरो के वंशजों को मारा। वनर्जी, शास्त्री के अनुसार प्रागैतिहासिक युग में असुर आसरियन के रूप में प्रकट हुए। आसरियन मिश्र और बेबी लॉन की सभ्यता के अनुरूप थी। उन दिनों आसरियन सभ्यता चरम सीमा पर फल फूल रही थी। असुर समुद्री यात्री के रूप में प्रसिद्ध रहे जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में पहचाने जाने लगे। इस प्रकार राय ने असुरों को सिंधुघाटी निर्माता माना इन्होंने यह भी कहा है असुर नवपाषण युग से होते हुए लौह युग तक आए है।

खुदाई के क्रम में असुरो के बहुत उपकरण प्राप्त हुए है जो पत्थर, तांबा, लोहा, सोना से बने हुए है। राँची जिले में असुर के किलो एवं समाधि स्थल पाये गये है। मजुमदार ने भी स्पष्ट किया है कि आर्यों के समय काफी ताकतवर एवं बलवान के रूप में असुरो को जाना जाता था। मजुमदार ने भी आर्यों और असुरो के बीच युद्ध की बात को स्वीकार किया है।

संकालिया 1971 ने कहा है कि रामायण प्रारम्भिक लौहयुग की धाना है। आधुनिक विचारों में रूपने, एलवीन, हट्टन, थापर, गुप्ता आदि मुख्य है इनका मानना है कि असुर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे।

परन्तु कब कैसे ये जंगली और शिकारी हो गये यह अभी भी शोध का विषय है। [2]

असुरो को 'पूर्वदेवा' कहा गया है असुर का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। ऋग्वेद में असुरो के द्वारा निर्मित पुरो का वर्णन है और ये पुर तीन धुाओं–सोना–चॉदी और लोहा–से निर्मित अलग–अलग अस्तित्व वाले थे।

वैदिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि ये असुर ही पुर व्यवस्था के जन्मदाता थे और वर्त्तमान पुरातवेत्ताओं का एक वर्ग भी निश्चित रूप से मानता है और प्रमाणित करता है कि हड़प्प–मोहनजोदड़ो की संस्कृति असुरों की संस्कृति थी और वे नगर उन्ही के पुर थे। इनकी संस्कृति को मय–संस्कृति कहा गया है। असुर जनजाति शिल्प कला, भवन निर्माण की कला में ये अप्रतिम थे। असुरो के पास अनेक रहस्मयी विधाएँ थी। 'जल–बंध' विधा में ये माहिर थे। बोट्स का कथन है कि इनका इतना सम्मिश्रण हुआ है कि आस्ट्रोयड लक्षण क्षीण हो गया है।

इनकी भाषा असुरी है जो आस्ट्रोएशियाटिक (आग्नेय) भाषा परिवार से संबंध रखती है। ये नागपुरी और हिन्दी का भी प्रयोग करते है।

असुर जाति की तीन उप जातियां है–

1. बीर असुर– जंगलों में निवास करने वाले असुर बीर (वीर) असुर कहलाते हैं।

2. बिरजिया असुर– घूम–घूम कर कृषि करने वाले बिरजिया असुर कहलाते है।

3. अगरिय असुर– आग का काम अर्थात् लोहा गलाने का काम करने वाले अगरिया असुर कहे जाते है।

असुरो की अर्थव्यवस्था – आदिकाल से असुर लौह कर्मी रहे हैं। लोहा गलाना भी उनका पारंपरिक पेशा और आजीविका का एक मात्र साधन था। जिस परिवेश में इनका निवास–स्थल है वहाँ लोहा और भट्ठी में जलाने के लिए लकड़ी कोयला उपलब्ध हो जाता था।

असुरों की तीन तरह के लौह अयस्कों की पहचान करने की क्षमता के संबंध में डॉ0 सत्यप्रकाश गुप्ता (1976) ने अपनी पुस्तक दि असुर में जिक्र किया है। ये लौह अयस्क है– पीजा (मैग्नेटाइट), बिच्छी (हेमाटाइट), गोटा (लेटेराइट)। कालांतर में लौह उद्योग कमजोर होता गया। स्थानातंरित खेती, संग्रह और शिकार जीविकोपार्जन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। असुरों के पेशा का मुख्य स्रोत कृषि है उसके बाद शिकार एवं कंद मूल संग्रह मजदूरी भी इनके आय का उपस्रोत बना हुआ है। कुछ असुर कारीगरी का कार्य भी करते है। जंगल से असुरो का गहरा रिस्ता है। जंगल इनकी आजीविका और आय के स्रोत रहा है। जंगल में ही इनके बोंगा (देवता) निवास करते है। पेड़ों से रस्सी, टोकरी, डलिया, हरका, सूप आदि बनाते है। जंगल से ही बीज, फल, फूल, साग सब्जी, कंद मूल आदि उपलब्ध हो जाता है। ये सब बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। असुर जंगल से परिचित हैं इस कारण इन्हें जड़ी बूटी का भी ज्ञान होता है। [3]

असुर के पूर्वजों को आज की तरह जंगल के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता था। इनके पूर्वज जंगल के जमीनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे। बाहर की दुनिया से इनका संबंध न के बराबर था। इनकी आवश्यकता बहुत कम थी। आज की तुलना में इनके पूर्वजों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आज इन्हें जंगल के प्रतिबंधों से बंधना पड़ता है तथा इनका संबंध बाहरी दुनिया से होने के कारण इनकी आवश्यकताएँ भी बढ़ी है। जिसकी पूर्ति इनकी खराब आर्थिक स्थिति में नहीं हो पाती।

सरकार के नियम एवं जंगलों से दूर होने के कारण इनकी आर्थिक स्वरूप में बदलाव आया है। असुरों में आर्थिक बदलाव दो प्रकार के हुए हैं। जमीन एवं राजस्व बन्दोबस्ती की पद्धति के कारण इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन इनके लोहा गलाने वाला तथा सिफ्टिंग कृषि पर पड़ा है। उद्योग के विकास तथा व्यवसाय के विकास के कारण असुरो के लोहा गलाने के एकाधिकार पर प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा जंगलों के संबंध में लगाये गये प्रतिबंध एवं जंगलों के सुरक्षित किये जाने से इन्हें कठिनाई हुई है।

आधुनिक पद्धति के समाने इनकी पुरानी पद्धति टिक नहीं पाई जिसे इन्हें अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ा। परिवर्तन के युग ने असुरों के अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। [4]

वर्त्तमान समय में असुर स्थायी कृषि को मुख्यतया अपना चुकी है। कृषि कर्म एक व्यक्ति से नहीं हो सकता अतः परिवार के सभी सदस्य उसमें अपना योगदान करते है। इस तरह असुर परिवार में समुचित श्रम विभाजन की व्यवस्था है। पुरूषों और स्त्रियों के कार्य बंटे हुए है बच्चे और वृद्ध भी सरल कार्यों को सम्पन्न करते है असुर जनजाति में पुरूष का कृषि में विशेष स्थान होता है। जैसे खेत तैयार करना, हल चलाना, इसके आलावा घर का छप्पर तैयार करना, जंगल से लकड़ी आदि लाना उपकरण बनाना, रस्सी बनाना, धार्मिक विशेषा भी पुरूष ही होते हैं। घर का काम, पानी लाना, खाना पकाना, धान कूटना, फल –फूल लाना, साग सब्जी लाना, खेत में रोपनी, कटाई, बुनाई आदि कार्य भी स्त्रियाँ करती हैं। बच्चों की देख रेख बाजार से खरीदारी, झाड़ू निर्माण पत्रल निर्माण का जिम्मा भी स्त्रियों का होता है। बच्चे और वृद्ध मिलकर घर के पशुओं की देख–रेख करते हैं इस तरह सब मिलजुल कार्य करतें है।

असुरो की आर्थिक स्थिति ठिक नहीं इसलिए कृषि से समय मिलने पर ये लोग मजदूरी भी करते है। असुर लोग लोहा बाजार से खरीदने लगे है। मार्च माह से जून तक असुर जंगलों में बरहा, खरगोश, गिलहरी, साही जैसे पशुओं का शिकार करते है। शिकार प्राय पुरूष द्वारा सामुहिक रूप में होता है।

बिशुनपुर के तीन असुर परिवारों ने तेल पेरने हेतु लघुकुटीर उद्योग के तहत कोल्हू लगा रखा है। जिसमें वे सरसों का तेल निकालते हैं। कोल्हू का निर्माण उन्होंने स्वंय खैर, कटहल, महुआ की लकड़ी से किया है। सरसों तेल के अलावे कुसुम, करंज से तेल प्राप्त कर बाजार में बेचने लगे हैं। असुरो में कारीगरी भी देखने को मिलता है। ये लकड़ी के उपकरण बनाकर बाजार में बेचते है। कुछ गिने चुने लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे है। गुमला के बिशुनपुर प्रखण्ड के कार्यलय में भी असुर जनजाति के लोग कार्य कर रहे है।

सरकार के तरफ से सरकारी अनुदान के रूप में असुर समुदाय को पशुपालन की सुविधा प्रदान की जा रही है। ताकि इनमें आर्थिक समृद्धि आ सके। प्रतिवर्ष प्रति असुर परिवार को दो बैल दिया जा रहा है। 1992 में प्रति परिवार को पाँच असुर प्रदान किये गये थे। इनमें एक नर और चार मादा थी इनकी प्रजनन क्षमता ज्यादा होने के कारण गाँव में इनकी संख्या में

वृद्धि हुई है। 1992 ई0 में प्रति असुर परिवार को 10 मुर्गियाँ मिली थी। लेकिन इनकी संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई। इसके आलावा इन्हें बकरी, बतख भी दिये गये।

असुर जनजाति के वैवाहिक स्वरूप

असुर अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। असुरो में तीन प्रकार के विवाह की व्यवस्थ रही है।

1 .विधिवत विवाह – इस प्रकार के विवाह में अधिक खर्च होने के कारण यह विवाह असुरों में कम पाया जाता है। जब लड़के और लड़की की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो जाती है। तब लड़के के माता–पिता अपने सगे सम्बन्धी से विवाह के सम्बन्ध में बात करते है और लड़की का पता लगाते हैं। लड़की का पता लग जाने के बाद लड़का के तरफ से अगुआ लड़की के घर जाता है और लड़की के पिता से कहता है कि छप्पर पर कोहड़ा फल गया है इसे देखकर मैं आपके घर आया हूँ। इसके बाद लड़की के पिता अगुआ को आदर के साथ घर में बैठाता है फिर कुछ खाने पीने को देता है। अगर लडकी के पिता को अपनी कन्या का विवाह करना होता है तो वह लड़के पक्ष से कहता है कि फल आपका है इसे ले जाइए। अगुआ के लौटने के बाद लड़के के माता–पिता एवं अगुआ लड़की के घर जाते हैं। फिर लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के परिवार का स्वागत किया जाता है। जल पान करा कर सम्बन्ध तय किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद लड़कीके माता–पिता लड़के के घर जाते है और उनका स्वागत होता है। खान–पान के बाद दोनों पक्ष अपने सामने बैठते है। लड़का और लड़की भी बैठते हैं लड़का और लड़की की अनुमति के बाद विवाह का दिन निश्चित किया जाता है।

2. इदी ताई–मा या इदी भी –

नेतरहाट के पाट क्षेत्र में निवास करने वाले असुर जनजातियों में एक अनोखी विवाह व्यवस्था पाई जाती है जो कि अन्य जनजातियों में नहीं मिलती है। असुर जनजाति के लोग इसे इदी–ताई–मा, या इदी भी कहते है।

इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है और न ही गाँव वालों को भोज दिया जाता है। लेकिन इस व्यवस्था से एक स्त्री, पुरूष को शादी–शुदा माना जाता है। पाट क्षेत्र के कुछ गाँवों में यथा सखुआ पानी, जो भी पाट, कुजाम–पाट आदि में 70 प्रतिशत लोग इसी व्यवस्था से विवाह करते है।

'इदी–भी' विवाह प्रणाली में दम्पति को अपने जीवन काल में शादी की औपचारिकता कभी न कभी पूरी करनी होती है। यह औपचारिकता अपने बच्चे के शादी के पहले या शादी के समय ही पूरी करनी होती है। इदी भी व्यवस्था में बैनझोरी की औपचारिकता निभाई जाती है। इसमें लड़की को लड़के के बड़े भाई के घुटने पर बैठाया जाता है। लड़के पक्ष और लड़की पक्ष के तीन आदमी एक दूसरे का आलिगन करते हुए कहते है कि लोटा का बन्धन छुटी, चाम का बन्धनन छुटी।

कभी–कभी दो तीन पीढ़ी तक लोग आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विवाह की औपचारि काम पूरी नहीं कर पाते है। इसका एक उदाहरण : 'मोहना पाट' को जतनु असुर' का है। उसने अपने पोता की शादी में अपनी विवाह की औपचारिक पूरा किया।

इस प्रकार की औपचारिकता अपने जीवन काल में निभानी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह इस प्रकारकी औपचारिकता पूरी नहीं कर पाता है तो मृत्यु संस्कार के पहले यह पूरा करना होता है। असुरों में सिन्दूर का महल है अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पति उसे सिन्दूर लगाता है अगर पुरूष की मृत्यु होती है तो कोई दूसरा व्यक्ति मृतक के हाथ से इसकी पत्नी के माथे में सिन्दूर लगवाता है। इनके बाद मृत्यु संस्कार सम्पन्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि असुर ये विवाह का बहुत महत्व है और विवाह के इदी ताई मा प्रणाली सबसे अलग प्रणाली है।

3. ढुकू विवाह – असुर जनजाति में ढुकू विवाह भी पाया जाता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते है लेकिन इनके माता–पिता उनका विवाह नहीं करते है। तो ऐसी स्थिति में लड़की अपने प्रेमी के घर जाकर रहने लगती है। घर वाले के कोशिश करने पर भी वो नहीं निकलती है। फिर अनंतः घर वाले दोनों का विवाह कर देते है।

इस प्रकार मुख्य रूप से असुरो में तीन प्रकार के विवाह की व्यवस्थ रही है। इसके अतिरिक्त असुरो ने और विवाह का प्रचलन भी पाया है जैसे देवर भाभी विवाह, साली विवाह, विधवा विवाह □ ,[5]

असुर जनजाति के वैवाहिक स्वरूप मे परिवर्तन

असुर जनजाति खुली हुई विचारों को महत्व देने वाली जनजाति है। इसलिए परिवर्तन को भी असुरो ने स्वीकारा है। वो परिवर्तन चाहे किसी भी क्षेत्र में बयों ना हो। परिवर्तन समाज की आवश्यकता है जो अनिवार्य रूप से होता है समाज का संगठन गतिशील होता है इसलिए उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन स्वता स्फूर्त अथवा सुनियोजित रूप से होते रहते हैं। परिवर्तनशील सा के कारण ही संस्थान तथा समितियों इत्यादि के स्वरूप एवं कार्यों में बदलाव आते रहते हैं सभी प्रकार के छोटे–बड़े समाजों में यह नियम काम करता है शहरी तथा औद्योगिक समाज में यह प्रक्रिया अत्यधिक तिरु होती है तथा इसकी पहचान भी सरलता से हो जाती है इसकी तुलना में ग्रामीण अथवा आदिवासी समाज में इस की गति धीमी होती है□[6] पारंपरिक रूप से विवाह को नियंत्रित करने वाले अंतर विवाह बहिर्विवाह तथा अनुलोम विवाह से संबंधित अनेक जटिल नियम विभिन्न जातियों में रहे हैं। तथा इनका पालन भी कढ़ाई से किया जाता रहा है किंतु वर्तमान समय में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों को नियमित करने वाले पारस्परिक नियमों में सनसनी शिथिलता परिलक्षित होने लगी है। पूर्व समय में अंतर्विवाह संबंधी नियमों का पालन करते हुए अपनी जाति के अंदर ही विवाह किया जाता था। किंतु वर्तमान समय में रा अपनी जाति से बाहर भी कुछ विवाह होने लगे। इसी प्रकार अनुलोम विवाह संबंधी नियम के पालन में भी शिथिलता पाई गई है पूर्व समय में लोग अपने से निम्न वंश अथवा उप जातियों के परिवारों में अपने लड़के के लिए वधू ले लेते थे किंतु इनमें अपनी लड़की को नहीं देते थे वर्तमान समय में लोगों की इन धारणाओं में परिवर्तन होने लगे हैं उदाहरण के लिए यदि किसी निम्न वर्ष अथवा उपजाति में इंजीनियर या डॉक्टर लड़का विवाह योग्य है तो उसके लिए अपनी लड़की का प्रस्ताव रखा जाता है और विवाह कर भी दिया जाता है अर्थ आर्थिक वर्तमान समय में जाति से अधिक आर्थिक स्थिति को ध्यान दिया जाता है वर्तमान समय में अगर कोई कुछ वर्ण या कुल की लड़की है तो उसका निम्न वर्ण याकुल के लड़के से विवाह किया जाता है अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हुई तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व काल की अपेक्षा अब वंश अथवा उपजाति के अस्तर को कम महत्व दिया जाने लगा है और इसके विपरीत आर्थिक व्यवसायिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियों का महत्व बढ़ता जा रहा है। सपिंड विवाह निषेध के नियम का पालन पूर्व में जातियों में कड़ाई से होता था किंतु वर्तमान समय में इसके पालन करने में शिथिलता आई है पिता के साथ पीढ़ी के स्थान पर पांच पीढ़ी तथा माता के पांच पुरी के स्थान पर तीन पीढ़ी छोड़कर विवाह होने लगे हैं। किस प्रकार जहां एक और उच्च जातियों में इस पारंपरिक विषयों में शिथिलता आ रही है वही निम्न जातियों में जहां पहले यह प्रतिबंध नहीं थे उनमें इन्हें लागू करने का प्रयास हो रहा है इससे प्रोफेसर श्रीनिवास के इस मंतव्य की पुष्टि होती है कि उच्च जातियों में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है और निम्न जातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का असर दिख रहा है □

आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के पूर्व प्रयास सभी विवाह पारंपरिक अनुष्ठानों एवं रीति–रिवाजों से होते थे किंतु आधुनिक समय में कुछ विवाह न्यायालयों द्वारा आर्य समाज के माध्यम से आदर्श विवाह के रूप में पंचायत द्वारा अथवा जाति संगठन द्वारा भी होने लगे हैं विवाह में वर वधू के चुनाव के तरीके और प्रतिमाओं का अपना विशेष महत्व होता है पूर्व समय में हिंदुओं में विवाह के समय वर–वधू के चयन के जो तरीके और प्रतिमान धमाल थे उन्हें वर्तमान समय में आधुनिक विचार तथा वैधानिक अधिकार एवं मुखिया की सत्ता के ह्रास के कारण परिवर्तन आया है वर्तमान में वर–वधू चुनाव में व्यक्तिगत चुनाव को महत्व दिया जाता है □ [7]

आधुनिक परिवर्तनों का प्रभाव भी विभिन्न जाति समाज और अलग–अलग प्रकार का पड़ा है उपजाति में प्रचलित आदर्शों मानदंडों एवं वैवाहिक नियमों को निम्न जाति के द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया गया।

निष्कर्ष

समाज में होने वाले नए नए परिवर्तनों का प्रभाव विवाह पर भी पड़ा है यह परिवर्तन विभिन्न समाजों पर कम अथवा अधिक है इन्हीं प्रभाव के कारण विवाह संबंधी अवधारणाएं मान्यताएं प्रतिबंध और निश्चित बदल चुके हैं आदिम समाजों में भी विवाह संबंधी जो भी सिद्धांत और नैतिकता है थे उनमें परिवर्तन हो गया है असुर जनजाति के वैवाहिक स्वरूप मे परिवर्तनधीमी गति से हो रहा है जिस प्रकार अन्य जाति एवं जनजाति में परिवर्तन हुआ है ठीक उसी प्रकार असुर जनजाति में भी हो रहा है यह परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सभी स्वरूपों में दिखाई दे रहा है विवाह में परवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में विवाह पर अधिक धन खर्च किया जाता है। यह परिवर्तन लोगों का एक दूसरे से संपर्क बनाना है इसके साथ ही आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ रहा है खुद को आधुनिक दिखाने के चक्कर में लोग अधिक पैसे खर्च करते हैं असुर जनजाति की आर्थिक स्थिति अन्य जाति एवं जनजाति से निम्न है इस कारण उनमें उतना दिखावा नहीं है परंतु अन्य लोगों के संपर्क में आने के कारण इस जनजाति ने भी अन्य लोगों की तरह रीति–रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया है विवाहित रीति–रिवाजों में भी सूचना रूप से परिवर्तन देखने को मिल जाता है लेकिन पूर्ण रूप से असुर जनजाति परिवर्तित नहीं हुई है असुर जनजाति एक आदिम जनजाति है इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से पाट क्षेत्र में रहते हैं इस कारण इस जनजाति का संपर्क अन्य आधुनिक समाजों से कम हो पाता है परंतु आधुनिक समाज के लोग धीरे–धीरे इस जनजाति से संपर्क स्थापित कर रहे हैं इस कारण उनका प्रभाव असुर जनजाति पर नगर ने रूप से देखने को मिल रहा है असुर जनजाति में विवाह के तीन रूप मुख्य रूप से प्रचलित है विधिवत विवाह ढूकू विवाह एवं सेवा विवाह प्रचलित है । वर्तमान समय में विधिवत विवाह अधिक देखने को मिल रहा है यह विधिवत विवाह अन्य जाति एवं जनजाति की तरह ही है लेकिन असुर लोगों में एक अलग प्रकार के वैवाहिक व्यवस्था है जिसको इदी ताई मां कहते हैं इस व्यवस्था में लड़का लड़की बिना विवाह किए एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं परंतु अपने जीवन के किसी काल में उन्हें विवाह की रस्मों को पूरा करना होता है यह वैवाहिक व्यवस्था है असुर जनजाति को अन्य जाति एवं जनजाति से भिन्न बनाता है।

संदर्भ सूची

1) https://him.vikipedia.org/wiki/o

2) साहु चतुर्भुज, झारखण्ड की जनजातियाँ, के.के. पब्लिकेशन्स, 2012, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 1.7–1.8

3) शर्मा बिमला चरण, झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा रांची, 2014, पृष्ठ संख्या 47, 53

4) सिंह राजेश्वरी प्रसाद, 'असुर, बिहार सरकार कल्याण विभाग, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी रांची, 1993, संक्षिप्त मोनोग्राफिक सिरिज–8 पृष्ठ संख्या 16–17

5) उरांव प्रकाशचन्द्र, बिहार के असुर, बिहार सरकार कल्याण विभाग, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी, रांची 1994, पृष्ठ संख्या 16–21

6) यादव रामजी लाल, समाजशास्त्र , इयेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2019, पृष्ठ संख्या ,54, 78–80

7) शर्मा प्रमोद कुमार, परिवार और विवाह के बदलते प्रतिमान, सिंघई पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रायपुर 2010, पृष्ठ संख्या 185 – 186 , 227